



2026:AHC:10328

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 362 वर्ष 2026

नियाज़ अहमद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	रविन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी. श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता की माँ, जिनका नाम नज़बुन्निसा था, एक सफाई कर्मी थीं, जिनकी 26.09.2020 को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। रिट याचिकाकर्ता ने इससे पहले, रिट-ए संख्या 10530/2024 दायर करके, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को प्रदान किए जाने के लिए इस न्यायालय का रुख किया था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार है।
3. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या 3) का दावा, प्रतिस्पर्धी दावे, उपयुक्तता और पात्रता से संबंधित है।
4. विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रत्यर्थी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बस्ती द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. न्यायालय में दिए गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता 30.01.2026 तक, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, तीसरा प्रत्यर्थी यानी जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बस्ती के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, तीसरा प्रत्यर्थी, पात्रता, उपयुक्तता और यदि कोई अन्य प्रतिस्पर्धी दावे हों, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए, दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

जनवरी 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)